महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

ज्ञान शांति मैत्र

डॉ. शोभा पालीवाल

Dr. Shobha Paliwal

अकादमिक संयोजक/Academic Co-ordinator

समन्वयक, रैगिंग विरोधी समिति

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/2013/ARC/2017/580

दिनांक: 13. 02. 2018

सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालयादेश क्रमांक 05/2013/ ARC/2017/345 दिनांक 26/08/2017 द्वारा गठित **रैगिंग विरोधी समिति** (Anti Ragging Committee) की **बैठक दिनांक 15.02.2018 को अपराह्न 04.00 बजे** कुलपति कक्ष में आयोजित है। बैठक में आप सभी की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

13/2/18

(शोभा पालीवाल)

प्रति,

1.	कुलपति -	अध्यक्ष
2.	उप विभागीय अधिकारी/न्यायिक दंडाधिकारी, वर्धा या उनके प्रतिनिधि-	न्याय प्रशासन सदस्य
3.	उप पुलिस अधीक्षक,वर्धा या उनके प्रतिनिधि-	पुलिस प्रशासन सदस्य
4.	श्री राजेन्द्र मुंडे, जिला प्रतिनिधि, महाराष्ट्र टाइम्स -	मीडिया सदस्य
5.	सुश्री संगीता इंगले तिगांवकर, अध्यक्ष, रॉटरी क्लब, वर्धा-	गैर-सरकारी संगठन सदस्य
6.	प्रो. लेला कारूण्यकरा, प्रोफेसर/निदेशक, डॉ.बा.अं.सि.का.मु.द.ज.अ.कें.-	शैक्षणिक सदस्य
7.	डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर, कुलानुशासक/एसोशिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग-	शैक्षणिक सदस्य
8.	डॉ. अवंतिका शुक्ला, सहायक प्रोफेसर, स्त्री अध्ययन विभाग-	शैक्षणिक सदस्य
9.	श्री पुरूषोत्तम अ. लांजेवार (अभिभावक, चेतना लांजेवार, बीएसडब्ल्यू)-	अभिभावक सदस्य
10.	श्रीमती प्रीति कुमारी (बी-एड. 2017-18)-	नवागंतुक विद्यार्थी सदस्य
11.	श्री नवीन कुमार त्रिपाठी (पी-एच.डी. मनोविज्ञान -2016-17)-	वरिष्ठ विद्यार्थी सदस्य
12.	श्री राजेश कुमार यादव, हिंदी अधिकारी-	गैर-शैक्षणिक सदस्य

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
4. संबंधित फाइल